न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 10/09 (वाद)

1. श्री रूपसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्री सार्दुलसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्री खुमाणसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
4. श्रीमती प्रतावबाई पत्नी स्व. भभुतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
5. श्रीमती रकमाबाई पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
6. श्रीमती मनोहरबाई पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री रामसिंह पिता जोधसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्री सोहनसिंह पिता जोधसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्री शंकरसिंह मुतबन्ना चेनसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
4. श्री जसबाई बेवा चेनसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली। तर्क किया।
5. श्री धनसिंह पिता चम्पालाल राव निवासी बोयणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री भंवरलाल ओस्तवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 2, 3, 5

सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर (राज.)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 158 रकबा 18 बिस्वा हम वादीगण के पिता व वादीयां सं. 4 के पति भभूतसिंह गमाना राव के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। यह कि पुरानी जरीब एक सौ साढे बावन फीट की थी और नई जरीब एक सौ बतीस फीट की हुई उस अनुसार आराजी नम्बर 158 के हाल आराजी नम्बर 275 बने जिसका रकबा नई जरीब से एक बीघा सात बिस्वा हुआ। इस तरह नक्शें में भी आराजी नम्बर 275 ही पडे। उक्त आराजी नम्बर गलती से सेटलमेन्ट के समय प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गई थी उस पर भभूतसिंह जी ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के यहां कार्यवाही करा कर दिनांक

Akshay

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

15.02.73 के फैसले से आराजी नम्बर 158 भभुतसिंह के नाम पर दर्ज करने का आदेश हुआ। इस तरह आराजी नम्बर 275 पूरी हम वादीगण के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों ने गलती से 275 के दो टुकडे कर के 1555/275 रकबा 17 बिस्वा को हमारे नाम पर कर दी लेकिन उसी का 275 मी. दस बिस्वा प्रतिवादीगण के नाम पर कर दी है जो गलत है। इस तरह हम वादीगण मौजा बोयणा की आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है उसको उनके नाम से हटाकर पुनः हम वादीगण की खातेदारी में घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

2. प्रतिवादीगण ने सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के फैसले की अपील भी की थी वह अपील भी उसकी खारिज हो चुकी है इसके अलावा प्रतिवादीगण ने आराजी नम्बर 1555/275 को भी उनके नाम पर घोषित कराने का दावा हम वादीगण के विरूद्ध किया वह दावा भी दिनांक 02.08.2002 को खारिज हो चुका है। इस तरह आराजी नम्बर 1555/275 रकबा 17 बिस्वा वर्तमान में हम वादीगण के खातेदारी में है तथा आराजी नम्बर 275 मी. रकबा दस बिस्वा जो प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है उन दोनों को शामिल कर सम्पूर्ण आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हम वादीगण की खातेदारी में घोषित कराने के अधिकारी हैं। इस तरह हाल आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा एवं 1555/275 रकबा 17 बिस्वा हम वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि है लेकिन प्रतिवादीगण हमारे शान्तिपूर्वक काश्त में चेलेन्ज कर रहे हैं और कब्जे काश्त में गलत दखलन्दाजी एवं हस्तक्षेप करने को उतारू हो रहे हैं। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादीगण हमारे शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करें तथा जबरन कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो हम वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसका हर्जाना नकदी में नही आंका जा सकेगा, लडाई झगडा और मुकदमें बाजी बढेगी। भभूतसिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए यह वाद हम उनके वारिस होने से पेश कर रहे हैं।

3. हम वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त आराजी हमारे नाम पर दर्ज कराने को कहा तो वे टालम टूल का जवाब देते रहे तथा उल्टा हमारे कब्जे में हस्तक्षेप

Ajay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

करने लगें। इसलिए बिनाय मुखासमत वाद दिनांक 01.01.2009 को उत्पन्न हुआ जब उन्होने झगडा करना प्रारम्भ किया।

4. अतः प्रार्थना है कि मौजा बोयणा की हाल आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा जो वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम पर दर्ज है उसको उनके नाम से हटाये जाकर हम वादीगण के नाम पर खातेदारी में घोषित फरमाई जावे तथा हमारे खाते की हाल आराजी नम्बर 1555/275 एवं प्रतिवादी के खाते की हाल आराजी नम्बर 275 मी. दोनों को मिलाकर खाली आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा की जाकर हमारे खातेदारी में घोषित करा कर हमारे नाम पर दर्ज की जावें। हाल नक्शें में भी आराजी नम्बर 275 ही दर्ज हैं। हम वादीगण के पक्ष में इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण मौजा बोयणा की आराजी नम्बर 1555/275 व 275 मी. में हमको शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, बाधा नहीं पहूंचावे तथा हमारी आराजी में प्रवेश नहीं करे, यह कार्य वे स्वयं तथा उनके परिवारजन व प्रतिनिधि कोई भी नहीं करें।

5. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रतिवादी सं. 4 की मृत्यु होने से इनका नाम तर्क किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 5 द्वारा जवाब मय प्रतिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र में साबिक आराजी नम्बर 158 के वर्तमान पेमायश मे नए नम्बर 275 कायम किया जाना स्वीकार। खसरा सं. 158 जिसका क्षेत्रफल 18 बिस्वा था, का वर्तमान पेमायश क्षेत्रफल 1 बीघा 3 बिस्वा ही बनता है न कि 1 बीघा 7 बिस्वा, यदि पेमायश में 3 का क्षेत्रफल 1 बीघा 7 बिस्वा कर दिया गया तो वह गलत किया गया हैं। विवादित सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादीगण मालिकाना हक से उक्त कृषि भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का उपयोग उपभोग करते हुए आ रहे है उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का पुराना पत्थर का कोट बना हुआ हैं तथा प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी सेटलमेन्ट प्रारम्भ हुआ उसके पूर्व से उक्त सम्पूर्ण रकबे पर खेती करते आ रहे है तथा प्रतिवादीगण के पैतृक कुंए से उक्त कृषि भूमि की पिलाई होती है। सेटलमेन्ट खसरा गिरदावरी में जिस समय कब्जे का इन्द्राज किया जाता था कब्जा

sd/-
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण व इनके पूर्वाधिकारी का बता रखा है व खसरा गिरदावरी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है। वादी पक्ष द्वारा खसरा गिरदावरी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने बाबत् कोई एतराज या आक्षेप नहीं किया गया क्योंकि वादी पक्ष भी उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण की ही मानता आ रहा हैं। पेमायश में उक्त कृषि भूमि का गलत रूप से अंकन वादीगण के पिता के ना पर कर दिया गया परन्तु उक्त अंकन से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है, राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज विधि सम्मत होना चाहिए व ऐसे विधि सम्वत् अंकन से ही सम्बन्धित पक्ष को अधिकार प्राप्त होते हैं। वादीगण के पिता के पास यह जमीन कहां से आई, उक्त जमीन पैतृक सम्पति है या स्व. भभूतसिंह की आंवटित है, आदि तथ्य वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में स्पष्ट नहीं किए है न ही वादी पक्ष द्वारा स्पष्ट किए ही जा सकते है क्योंकि वादीगण के पिता के नाम पर अंकन बाबत् कोई विधि सम्मत् आदेश वादीगण के पास है ही नहीं।

6. सही स्थिति यह है कि साबिक आराजी नम्बर 158 को वादीगण के पूर्वजों ने नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करवा लिया किन्तु कब्जा प्रतिवादी पक्ष का ही था इस पर द्वितीय सेटलमेन्ट के दौश्रान प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपत्ति करने पर उक्त कृषि भूमि जोधसिंह, चेनसिंह, धनसिंह हिस्सा बराबर के नाम दर्ज करने का आदेश हुआ। जैसा कि उपर लेख किया जा चुका है कि प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से उक्त कृषि भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर कब्जा चला आ रहा है जो कब्जा वादीगण एवं इनके पूर्वाधिकारी की जानकारी में है तथा स्वंय वादीगण एवं इनके पूर्वाधिकारी ने पेमायश के दौरान सहायक भू. प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष कब्जा प्रतिवादीगण का होना स्वीकार किया है इसलिए विकल्प में लेख है कि प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि साबिक नम्बर 158 पर प्रथम पेमायश के पूर्व से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जो कब्जा वादीगण एवं इनके पूर्वाधिकारी की जानकारी में होने से प्रतिवादीगण का वादीगण के मुकाबले प्रतिकूल कब्जा परफेक्ट हो चुका है व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि के स्वामी है जिस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम में पृथक से क्लेम किया जा रहा है। सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही फिस्कल प्रोसिडिंग है व इससे न तो खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है न समाप्त किये जा सकते है न उक्त किसी आदेश से किसी पक्ष के अधिकार पर कोई प्रभाव ही पडता है तथा बाबत् रेगुलर वाद हो जाने से

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

सेटलमेन्ट अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही व निर्णय अप्रासंगिक हो जाते हैं। वादीगण खसरा सं. 275 मी. से प्रतिवादीगण का अंकन हटाने के अधिकारी नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण वादीगण का खसरा सं. 275 के जिस क्षेत्रफल पर वादीगण का नाम अंकित हो गया है उसे हटवाने के अधिकारी है व इस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मेरीट पर खारिज नहीं होने से प्रतिवादीगण उक्त बिन्दु से पुनः काउन्टर क्लेम द्वारा एजीटेट कर सकते है न इस मामले में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता हैं।

7. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बिना कब्जे की सहायता मांगे वादीगण का केवल मात्र घोषणा का वाद पोषणीय नहीं हैं। वादीगण द्वारा सभी आवश्यक पक्षकार को पार्टी नहीं बनाया है, इस आधार पर भी वाद वादीगण पोषणीय नहीं हैं।

8. काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृषि भूमि साविक खसरा नम्बर 158 पर वादीगण का कोई स्वत्व अधिकार व आधिपत्य नहीं हैं उक्त कृषि भूमि वादीगण या इनके पूर्वजो की आंवटित भूमि नहीं हैं न पैतृक सम्पति है। वादीगण के पूर्वजो के नाम उक्त कृषि भूमि गलत दर्ज की गई व केवलमात्र गलत इन्द्राज से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते है इसलिए प्रतिवादीगण उक्त आशय की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रतिवादीगण का अपने पूर्वजों के समय से पेमायश प्रारम्भ के पहले से साबिक खसरा सं. 158 पर कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवर्ष काश्त करते आ रहे है व उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण की अन्य कृषि भूमियों से मिली हुई होकर एक चक है वादीगण का पिछले 12 वर्ष से ज्यादा अवधि से विवादित जमीन पर कब्जा नहीं होने से धारा 63 (4) रा.टी.एक्ट के तहत् वादीगण के उक्त कृषि भूमि से अधिकार समाप्त हो गए हैं व अधिकार प्रतिवादीगण में निहित हो गए हैं।

9. प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हाल खसरा नम्बर 275 एवं 1555/275 के खातेदार हो गए है व इस आशय की घोषणा माननीय न्यायालय से करवाने के अधिकारी हैं। उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादीगण प्रतिवादी पक्ष के जायज अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे है इसलिए प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादीगण के विरूद्व उक्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

जिसकी बिनाय 10.04.2009 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अतः निवेदन है कि वादीगण का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमा प्रतिवादीगण को ग्राम बोयणा की कृषि भूमि खसरा सं. 275 एवं 1555/275 का खातेदार घोषित फरमाया जावें व राजस्व रिकार्ड में अंकन प्रतिवादीगण के नाम पर फरमाया जावें।

10. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बोयणा की साबिक आराजी नम्बर 158 रकबा 18 बिस्वा में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार कोई हक व अधिकार नहीं है तथा कब्जा भी उनका नहीं हैं। आराजी नम्बर 158 का नया नम्बर 275 एक बीघा 7 बिस्वा सेटलमेन्ट के समय ही हुआ हैं और उसमें आज दिन तक किसी पक्षकार ने कोई एतराज नहीं किया। इसलिए प्रतिवादीगण का यह उजर चलने योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने सारे कथन गलत अंकित किये है विवादग्रस्त जमीन पर कभी भी प्रतिवादीगण का कोई कब्जा नहीं रहा है और न ही उनका मालिकाना हक ही रहा हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वहां कोई पत्थर की कोट नहीं बनायी हुई हैं बल्कि पत्थर की कोट हम वादीगण के पिताजी ने हमारी दूसरी जमीन के साथ साथ इस जमीन पर भी बना रखी हैं। साबिक आराजी नम्बर 158 गलती से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हो गई थी उस पर हम वादीगण के पिताजी ने सहायक भू.प्रबन्ध अधिकारी के यहां कार्यवाही कराई और उसमें दोनों पक्षों को सुनकर फैसला हम वादीगण के हक में हुआ और जमीन हमारे नाम पर दर्ज करने का आदेश हुआ। प्रतिवादीगण ने उसकी अपील भी की जो भी खारिज हुई। इस तरह अब प्रतिवादीगण उस फैसलें को चैलेन्ज नहीं कर सकते हैं और यह मामला रेस जुडीकेटा में आता है और प्रतिवादीगण 275 के किसी भी भाग को अब अपने नाम पर नहीं करवा सकते हैं तथा हम वादीगण 275 मीन. को हमारे नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

11. प्रतिवादीगण ने पहले हमारे विरूद्ध आराजी नम्बर 1555/275 उनके नाम पर कराने की घोषणा का वाद किया था और वह वाद प्रतिवादीगण के उपस्थिति में साक्ष्य के अभाव में खारिज हुआ था इसलिए अब प्रतिवादीगण उक्त बिन्दू को पुनः काउन्टर क्लेम के द्वारा एडीटेड नहीं कर सकते है रेस जुडीकेटा का सिद्वान्त लागू होता हैं। जमीन हम वीगण के स्वामित्व की है तथा कब्जा भी

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

हमारा हैं। प्रतिवादीगण का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है इसलिए हम घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा कर सकते हैं।

12. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीन पर कब्जा हम वादीगण का है इसलिए घोषणा का दावा ला सकते हैं। हमने सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया हैं।

13. काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1555/275 के लिए प्रतिवादीगण को काउन्टर क्लेम पेश करने का कोई अधिकार नहीं हैं क्योंकि इन्ही प्रतिवादीगण ने इस आराजी को अपने नाम कराने का घोषणा का वाद हमारे विरूद्व उप खण्ड अधिकारी मावली में किया था और वह वाद साक्ष्य के अभाव में खारिज हुआ था इसलिए मामला रेस जुडीकेटा की तारीफ में आता है और उसके लिये अब प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे और हम वादीगण का वाद डिक्री किया जावें।

14. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

1. आया वादीगण मौजा बोयणा की हाल आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा जो प्रतिवादी के नाम हैं। उसे हटाई जाकर अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी हैं। ....वादीगण
2. आया आराजी नम्बर 1555/275 एवं प्रतिवादी की हाल आराजी नम्बर 275 मी. दोनों को मिलाकर आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा को वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं। ......वादीगण
3. आया वादीगण आराजी नम्बर 1555/275 एवं 275 मी. के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं। ....वादीगण
4. आया साबिक खसरा नम्बर 158 पर वादीगण का कोई स्वत्व अधिकार व आधिपत्य नहीं हैं। न ही यह भूमि वादीगण के पूर्वजों को आवंटन हुई थी, न ही पैतृक सम्पति हैं। इसलिए वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं। ....प्रतिवादीगण
5. आया आराजी नम्बर 275 एवं 1555/275 प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी हैं। .....प्रतिवादीगण

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

15. वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीगण शपथ पत्र पी.डब्ल्यू–1 श्री सार्दुलसिंह, पी.डब्ल्यू–2 श्री रूपसिंह के पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में डी.डब्ल्यू–1 श्री सोहनसिंह का शपथ पत्र पेश किया।

16. वादीगण द्वारा दस्तावेज नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, खाते की नकल प्रदर्श 2, 3, नकल मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श 4, मिलान खसरा प्रदर्श 5, उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णय की नकल प्रदर्श 6, भू.प्रबन्ध आयुक्त के निर्णय की नकल प्रदर्श 7, 8, सहायक भू.प्रबन्ध के निर्णय की नकल प्रदर्श 9 पेश किये। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए1, विवाद पत्र सेटलमेन्ट प्रदर्श ए2, सेटलमेन्ट खसरा प्रदर्श ए3, न्यायालय का निर्णय प्रदर्श ए4, कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श ए5 पेश किये।

17. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा लिखित बहस मय नजीर RRD 2017 Page 771 पेश कर वाद को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर काउन्टर क्लेम अनुसार दावा डिक्री कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

18. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अध्ययन किया। न्याय निर्णयन हेतु तनकीवार निर्णय निम्न है :–

1. आया वादीगण मौजा बोयणा की हाल आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा जो प्रतिवादी के नाम हैं। उसे हटाई जाकर अपने नाम घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

    उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, खाते की नकल प्रदर्श 2, 3, नकल मेवाड सेटलमेन्ट प्रदर्श 4, मिलान खसरा प्रदर्श 5, उपखण्ड अधिकारी, मावली के निर्णय की नकल प्रदर्श 6, भू.प्रबन्ध आयुक्त के निर्णय की नकल प्रदर्श 7, 8, सहायक भू. प्रबन्ध के निर्णय की नकल प्रदर्श 9 पेश किये एवं शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 श्री सार्दुलसिंह, पी.डब्ल्यू–2 श्री रूपसिंह के पेश किये। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 4 मेवाड सेटलमेन्ट की जमाबन्दी अनुसार

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

आराजी नम्बर 158 रकबा 18 बिस्वा पुरानी जरीब से वादीगण के पिता भभुतसिंह वल्द गमानाराव के नाम पर दर्ज थी। जिसका मिलान खसरा प्रदर्श 5 पेश किया, जिसमें आराजी नम्बर 158 का नया नम्बर 275 होकर रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा अंकित होना जाहिर हैं। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के उक्त आराजी नम्बर 275 के दो टुकडे कर दिये जो आराजी नम्बर 1555/275 एवं 275 मी. होना जाहिर आया हैं। 275 मी. प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज हो गई हैं। 275 मी. आराजी नम्बर 275 का ही हिस्सा होकर साबिक नम्बर 158 से बना हैं, जो कि साबिक आराजी नम्बर 158 वादीगणों के पिता के नाम दर्ज था। इसलिए वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। उक्त तनकी वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया आराजी नम्बर 1555/275 एवं प्रतिवादी की हाल आराजी नम्बर 275 मी. दोनों को मिलाकर आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा को वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मिलान खसरा प्रदर्श 5 पेश किया, जिसमें आराजी नम्बर 158 का नया नम्बर 275 होकर रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा अंकित होना जाहिर हैं। सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा बिना किसी आधार के उक्त आराजी नम्बर 275 के दो टुकडे कर दिये जो आराजी नम्बर 1555/275 एवं 275 मी. होना जाहिर आया हैं। 275 मी. प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज हो गई हैं। 275 मी. आराजी नम्बर 275 का ही हिस्सा होकर साबिक नम्बर 158 से बना हैं, जो कि साबिक आराजी नम्बर 158 वादीगणों के पिता के नाम दर्ज थी, इसलिए दस्तावेज प्रदर्श 5 से स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 158 से आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बना हैं। इसलिए उक्त तनकी को वादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी को वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

3. आया वादीगण आराजी नम्बर 1555/275 एवं 275 मी. के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादीगणों द्वारा ही अपना कब्जा होने का कथन किया हैं। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जा चुकी हैं। इसलिए उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

4. आया साबिक खसरा नम्बर 158 पर वादीगण का कोई स्वत्व अधिकार व आधिपत्य नहीं हैं। न ही यह भूमि वादीगण के पूर्वजों को आवंटन हुई थी, न ही पैतृक सम्पति हैं। इसलिए वादीगण घोषणा कराने के अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवाद के समर्थन में दस्तावेज खसरा गिरदावरी प्रदर्श ए1, विवाद पत्र सेटलमेन्ट प्रदर्श ए2, सेटलमेन्ट खसरा प्रदर्श ए3, न्यायालय का निर्णय प्रदर्श ए4, कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श ए5 पेश किये एवं शपथ पत्र डी.डब्ल्यू–1 श्री सोहनसिंह का पेश किया। दस्तावेजों के अवलोकन से प्रकरण में दस्तावेज प्रदर्श ए1 पेश किया जिसमें खातेदार के रूप में वादीगण के पिता का नाम दर्ज है एवं काश्तकार के रूप में प्रतिवादीगण के पिता जोधसिंह का नाम दर्ज होना जाहिर आया हैं। चूंकि पूर्व में ही आराजी नम्बर 158 वादीगण के पिता भभुतसिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी, इसलिए उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

5. आया आराजी नम्बर 275 एवं 1555/275 प्रतिवादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण द्वारा अपने शपथ पत्रों में मौके पर काबिज होने का कथन किया है जबकि राजस्व रेकार्ड में मूल नम्बर 158 होकर वादीगण के पिता भभुतसिंह जी के नाम पर दर्ज था। सेटलमेन्ट के पश्चात् मूल नम्बर 158 के नये नम्बर 275 बने, जिसके सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा 275 से नये नम्बर 275 मी. एवं 1555/275 बना दिये गये, जबकि मौके

Abhay
सहायक कलक्टर
(SDO) भावली

पर वादीगण द्वारा अपना कब्जा होने का कथन किया हैं। आराजी नम्बर 275 मी. प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है व 1555/275 वादीगण के नाम पर दर्ज है। प्रतिवादीगण लगातार बिना किसी बाधा के निर्विवाद कब्जा होने के कथन को साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उक्त तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

19. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व आराजी नम्बर 158 जो कि पुरानी जरीब से रकबा 18 बिस्वा थे, जिसके नये नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा बने, जो दस्तावेज प्रदर्श 5 जमाबन्दी सेटलमेन्ट सम्वत् 2022 से स्पष्ट हैं। भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने से वादीगण के पिता द्वारा सहायक भू.प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर के यहां इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो प्रकरण सं. 14/71 होकर प्रदर्श 9 है जिसमें निर्णय दिनांक 15.02.73 से आराजी नम्बर 262 व 275 को जोधसिंह जी के नाम से निरस्त कर वादीगण के पिता भभुतसिंह जी के नाम पर दर्ज करने के आदेश पारित किये गये थे। सेटलमेन्ट विभाग ने आदेश की पालना में उक्त आराजी नम्बर 275 के दो टुकडे आराजी नम्बर 1555/275 रकबा 17 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 275 मी. 10 बिस्वा कर दिये हैं।

20. उक्त आदेश के विरूद्व अपील जोधसिंह द्वारा की गई वह भी दिनांक 23.06.75 को अदम साक्ष्य वादी में खारिज कर दी गई। प्रथम दृष्टया आराजी नम्बर 275 से ही 1555/275 व 275 मी. नम्बर बनने का तथ्य सामने आया हैं, जो कि पूर्व साबिक नम्बर 158 का ही भाग हैं, साबिक नम्बर 158 का रकबा 18 बिस्वा था, जो सेटलमेन्ट के पूर्व की जरिब के अनुसार थी, जिसमें सेटलमेन्ट विभाग द्वारा निर्णय में आराजी नम्बर 158 के नये नम्बर 275 का रकबा 17 बिस्वा भभुतसिंह जी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये। जिसकी पालना में नई जरीब अनुसार पैमाईश से आराजी नम्बर 275 का रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हो जाने से निर्णय की पालना में निर्णय अनुसार पालना करने वाले अधिकारी ने आराजी नम्बर 275 के दो टुकडे करते हुए आराजी नम्बर 1555/275 रकबा 17 बिस्वा को भभुतसिंह जी के नाम दर्ज कर ली एवं शेष 10 बिस्वा के आराजी नम्बर 275 मी. बना कर आराजी नम्बर 275 मी. को प्रतिवादी जोधसिंह के नाम पर ही रखा गया हैं। जबकि इसके विपरित राजस्व नक्शें में भी आराजी नम्बर 275 का ही अंकन किया हुआ हैं। नक्शे में किसी

Akshay
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Scanned with CamScanner

प्रकार के टुकडों की तरमीम नहीं की गई हैं। आराजी नम्बर 275 मी. पर वादीगण का ही कब्जा चले आने का कथन किया हैं। निर्णय की पालना में आराजी नम्बर 275 मी. वादीगण के नाम नहीं होने से पुनः वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में उचित हैं। वादीगण उक्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

21. प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गई है। साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में प्रतिवादी सं. 2 सोहनसिंह द्वारा अपनी जिरह में हर तथ्य की जानकारी होने से मना किया है केवल मात्र अपना कब्जा होना ही बताया हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1)(4) में खातेदारी खारिज किया जाने का प्रावधान है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रतिवादीगण प्रतिवाद के माध्यम से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त नहीं कर सकता हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं एवं प्रतिवादीगण का प्रतिवाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी नम्बर 275 मी. एवं 1555/275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा को आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा रेकार्ड में दुरूस्त किया जावें। डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) ★ मावली

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रूपसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्री सार्दुलसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्री खुमाणसिंह पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
4. श्रीमती रकमाबाई पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
5. श्रीमती मनोहरबाई पिता भभूतसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री रामसिंह पिता जोधसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
2. श्री सोहनसिंह पिता जोधसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
3. श्री शंकरसिंह मुतबन्ना चेनसिंह राव निवासी बोयणा तह. मावली।
4. श्री धनसिंह पिता चम्पालाल राव निवासी बोयणा तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 10/09 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु अक्षय गोदारा, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा बोयणा पटवार हल्का बोयणा की आराजी नम्बर 275 मी. रकबा 10 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से हटाई जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। आराजी नम्बर 275 मी. एवं 1555/275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा को आराजी नम्बर 275 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा रेकार्ड में दुरूस्त किया जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.01.2020 को जारी की गई।

akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)

सहायक कलक्टर

(SDO) मावली

सहायक कलक्टर (SDO) ★ मावली जिला उदयपुर (राज.) ★

Scanned with CamScanner